पत्र संख्या : 7ब/2701 गैर यो० ज०सं०-06/17.......79

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ0), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रॉची।

रॉची, दिनांक 02-08-17

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष **2701- मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	**मांग संख्या/मुख्य शीर्ष**	**उप मुख्य शीर्ष**	**लघु शीर्ष/उप शीर्ष**	**आवंटित राशि (लाख ₹ में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	**180.320**

कुल आवंटित राशि - **रुपये एक करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार मात्र**

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध राशि ₹ 7363.92 लाख **(तीहत्तर करोड़ तीरसठ लाख बेरानबे हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा० अभि०

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय।राशि का प्रत्यार्पन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. **देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुकमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुकमिकानुसार (chronological order) किया जाय।**
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 30 जनवरी 2018** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(सुखदेव सिंह) 31/7
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 79 रॉची, दिनांक :– 02-08-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(सुखदेव सिंह) 31/7
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 79 रॉची, दिनांक :– 02-08-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुखदेव सिंह) 31/7
सहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	प्रधान सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

परिशिष्ट I

पत्रांक 79 दिनांक 02-08-17 का अनुलग्नक

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2017–2018		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ईंधन एवं सामग्रि	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49N270103001060101	49N270103001060110	49N270103001060112	49N270103001060213	49N270103001060315	49N270103001060316	49N270103001060323	49N270103001060333	49N270103001060334	49N270103001060337	49N270103001060442	49N270103001060760		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	40.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	**41.100**	
		अतिरिक्त आवंटन	**10.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.600**	**0.000**	**0.350**	**0.100**	**0.000**	**0.200**	**1.000**	**0.000**	12.250	
		कुल आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.200	0.900	0.000	0.350	0.200	0.000	0.200	1.500	0.000	**53.350**	
2	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	56.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	**56.900**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.200**	**0.200**	
		अद्यतन आवंटन	56.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.200	**57.100**	
3	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	34.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	**34.750**	
		अतिरिक्त आवंटन	**26.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.300**	**0.000**	**0.200**	**0.050**	**0.000**	**0.200**	**0.800**	**0.000**	27.550	
		अद्यतन आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.200	0.100	0.000	0.200	1.100	0.000	**62.300**	
4	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	196.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	**196.450**	
		अतिरिक्त आवंटन	**137.470**	**0.000**	**0.200**	**0.450**	**0.300**	**0.000**	**0.200**	**0.050**	**0.000**	**0.500**	**0.000**	**0.200**	139.370	
		अद्यतन आवंटन	333.470	0.000	0.200	0.650	0.500	0.000	0.200	0.100	0.000	0.500	0.000	0.200	**335.820**	
5	रूपांकण एवं मोनि0 प्र0, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	**30.750**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.300**	**0.000**	**0.200**	**0.050**	**0.000**	**0.200**	**0.000**	**0.200**	**0.950**	
		अद्यतन आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.200	0.100	0.000	0.200	0.300	0.200	**31.700**	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		**173.470**	**0.000**	**0.200**	**0.450**	**1.500**	**0.000**	**0.950**	**0.250**	**0.000**	**1.100**	**1.800**	**0.600**	**180.320**	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये एक करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

31/7

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव